



लिखु गाउँपालिका यसम, ओखलढुंगा प्रदेश नं.-१



स्थानीय राजपत्र

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड:- ४

संख्या:- १

मिति:- २०७८ / ०३ / ३१

भाग-१

नेपालको संविधानको धारा २२२ बमोजिम गठित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अधिनमा रहि लिखु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ लिखु गाउँपालिकाले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७८

प्रमाणिकरण मिति:-२०७८/०३/२०

ऐन नं. - २९

प्रस्तावना: लिखु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्न, छुट दिन र आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम लिखु गाउँ सभाले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न यो ऐन बनाई लागु गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७८” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७८साल श्रावण १ गते शुक्रवार देखि लिखु गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “ऐन” भन्नाले लिखु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ सम्झनु पर्दछ ।

(ख) “कार्यपालिका” भन्नाले लिखु गाउँकार्यपालिका सम्झनु पर्दछ ।

(ग) “गाउँपालिका” भन्नाले लिखु गाउँपालिका सम्झनु पर्दछ ।

(घ) “फर्म” भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भएका वा नभएका जुनसुकै फर्म सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) “व्यक्ति” भन्नाले यस ऐन वमोजिम कर तिर्नु पर्ने दायित्व भएका जुनसुकै व्यक्ति सम्झनु पर्दछ ।

(च) “सभा” भन्नाले लिखु गाउँपालिकाको सभा सम्झनु पर्दछ ।

(छ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान, २०७२ लाई सम्झनु पर्दछ ।

३. सम्पत्ति कर: गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम घरधुरीकर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तथा गा.पा.ले एकिकृत सम्पत्तिकर समेत लागु गर्न सक्नेछ ।

४. भूमि कर (मालपोत): गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

५. घर वहाल कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

६. **बहाल बिटौरी शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (४) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **सवारी साधन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (५) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र उक्त कर सम्बन्धित प्रदेशले असूल गरि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको विभाज्य कोष मार्फत गाउँपालिकाको संचित कोषमा बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ ।

८. **विज्ञापन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको कर समेत संकलन गरि प्रदेश विभाज्य कोषमा बाँडफाँड गरिनेछ ।

९. **मनोरञ्जन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (७) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको कर समेत संकलन गरि प्रदेश विभाज्य कोषमा बाँडफाँड गरिनेछ ।

१०. **व्यवसाय कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. **रेडियो/एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि रेडियो एफ.एम. सञ्चालन गरे बापत अनुसूचि(९) बमोजिमको कर लगाइनेछ ।

१२. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु

वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (१०) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. सरकारी सम्पत्ति बहाल: सरकारी सम्पत्ति बहाल भाडा सम्बन्धि अनुसूचि (११) बमोजिमको कर लगाइनेछ ।

१४. पार्किङ शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१२) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१५. पर्यटन प्रवेश शुल्क: गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र निर्माण गरेका उद्यान, पार्क, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा प्राकृतिक सम्पदा, संग्रहालय जस्ता सम्पदा उपयोग गरे बापत पर्यटकहरुबाट अनुसूची (१३) मा उल्लिखित दरमा पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१६. प्रशासनिक सेवा शुल्क, दस्तुर: गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि (१४) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१७. दण्ड जरिवाना तथा छुट: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१५) बमोजिमको दण्ड जरिवाना तथा कर छुट हुनेछ ।

अनुसूचि-१
(दफा ३ संग सम्बन्धित)
घरधुरी कर (राजश्व शीर्षक- ११३११)

सम्पत्ति कर प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु भएको प्रथम त्रैमासिक भित्र देहाय बमोजिम संकलन गर्ने र उल्लेखित समयावधि भित्र करदाताले नबुझाएमा अनुसूचि-१५ बमोजिम जरिवाना लिने ।

| क्र.स. | घरधुरी कर | दर (रु) |
|--------|-----------------------------------|---------|
| १ | एक तले कच्ची प्रति घर | २२०.०० |
| २ | एक तले पक्की प्रति घर | ५५०.०० |
| ३ | दुई तले कच्ची प्रति घर | ३००.०० |
| ४ | दुई तले पक्की प्रति घर | ११००.०० |
| ५ | तीन तले भन्दा माथी कच्ची प्रति घर | ३५०.०० |
| ६ | तीन तले भन्दा माथी पक्की प्रति घर | २५००.०० |

अनुसूचि-२
(दफा ४ संग सम्बन्धित)
भूमिकर/मालपोत(राजश्व शीर्षक- ११३१४)

भूमिकर/मालपोत कर प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु भएको प्रथम त्रैमासिक भित्र देहाय बमोजिम संकलन गर्ने र उल्लेखित समयावधि भित्र करदाताले नबुझाएमा अनुसूचि-१५ बमोजिम जरिवाना लिने ।

| क्र.सं. | बारी/खेत | दर (रु) |
|---------|--------------------------|---------------------|
| | बारी | |
| १ | अब्बल १० रोपनी भन्दा कम | ३०.०० |
| २ | अब्बल १० रोपनी भन्दा बढी | प्रति रोपनी थप ३.०० |
| ३ | दोयम १० रोपनी भन्दा कम | २५.०० |
| ४ | दोयम १० रोपनी भन्दा बढी | प्रति रोपनी थप २.०० |
| ५ | सिम १० रोपनी भन्दा कम | २०.०० |
| ६ | सिम १० रोपनी भन्दा बढी | प्रति रोपनी थप १.५० |
| ७ | चहार १० रोपनी भन्दा कम | १५.०० |
| ८ | चहार १० रोपनी भन्दा बढी | प्रति रोपनी थप १.०० |
| | खेत | |
| १ | अब्बल १० रोपनी भन्दा कम | ५०.०० |
| २ | अब्बल १० रोपनी भन्दा बढी | प्रति रोपनी थप ५.०० |
| ३ | दोयम १० रोपनी भन्दा कम | ४०.०० |
| ४ | दोयम १० रोपनी भन्दा बढी | प्रति रोपनी थप ४.०० |
| ५ | सिम १० रोपनी भन्दा कम | ३०.०० |
| ६ | सिम १० रोपनी भन्दा बढी | प्रति रोपनी थप २.५० |
| ७ | चहार १० रोपनी भन्दा कम | २०.०० |

| | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| ८ | चहार १० रोपनी भन्दा बढी | प्रति रोपनी थप २.०० |
|---|-------------------------|---------------------|

अनुसूचि-३

(दफा ५ संग सम्बन्धित)

घर बहाल कर(राजश्व शीर्षक- ११३२१)

गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्र रहेका स्थायी संरचनाहरू (घर, गोदाम, कम्पलेक्स आदि) भाडामा लगाउँदा प्राप्त आयमा १०% का दरले घरबहाल कर लाग्नेछ ।

अनुसूचि-४
(दफा ६ संग सम्बन्धित)
बहाल बिटौरी शुल्क (राजश्व शीर्षक- ११३२२)

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र लाग्ने दैनिक तथा साप्ताहिक हाटबजारमा प्रति दिन देहाय बमोजिमका दरले कर लाग्नेछः

| क्र.सं. | विवरण | दर (रु) |
|---------|--|---------|
| | माछा मासु बिक्री सम्बन्धी | |
| १ | खसी, बोका काटी बिक्री गर्दा प्रति गोटा | २०.०० |
| २ | सुंगुर बुंगुर काटी बिक्री गर्दा प्रति गोटा | २०.०० |
| ३ | रांगा काटी बिक्री गर्दा प्रति गोटा | ५०.०० |
| ४ | जिउँदो खसी, बोका, सुंगुर वा रांगा बेच्ने प्रति गोटा | २०.०० |
| ५ | हाँस, परेवा वा कुखुरा वा अन्य पंक्षी बेच्ने प्रति गोटा | १०.०० |
| ६ | माछा बिक्री गर्ने | २०.०० |
| | कपडा, जुत्ता तथा अन्य व्यवसाय सम्बन्धी | |
| ७ | रेडिमेड सामान तथा थान कपडा बिक्री गर्ने | १०.०० |
| ८ | श्रृंगार सामग्री बिक्री गर्ने | १०.०० |
| ९ | मुरली, वांसुरी, गुलेली, थैली तथा कीटनाषक औषधी बेच्ने | १०.०० |
| १० | खेलौना बेच्ने | १०.०० |
| ११ | जुत्ता चप्पल बिक्री गर्ने | १०.०० |
| १२ | जुत्ता चप्पल सिलाई गर्ने | ५.०० |
| १३ | खेल तमासा देखाउने | १०.०० |
| १४ | प्रचार प्रसार गरि बिक्री गर्ने | २०.०० |
| १५ | बाँस प्रति ट्र्याक्टर | ५०.०० |
| १६ | बाँस प्रति ट्रक | १००.०० |
| १७ | खटिया वा ठेलामा सामान बिक्री गर्ने | १०.०० |

| | | |
|----|--|-------|
| १८ | फलामको औजार तथा सामान बिक्री गर्ने | १०.०० |
| १९ | भाँडाकुँडा बिक्री गर्ने | २०.०० |
| २० | फोटो फ्रेमिङ्ग गरि बिक्री गर्ने | १०.०० |
| २१ | मर्मत कुकर), लाईट, छाता आदिगर्ने (| १०.०० |
| | तरकारी तथा फलफूल सम्बन्धी | |
| २२ | फलफूल, साग सब्जी वा नास्ता बिक्री गर्ने (ठुलो) | १०.०० |
| २३ | फलफूल, साग सब्जी ल्याई बिक्री गर्ने (सानो) | ५.०० |
| | खाद्यान्न सम्बन्धी | |
| २४ | किराना सामग्री | १०.०० |
| २५ | मकै पोली बेच्ने | ५.०० |
| | परम्परागत शीप सँग सम्बन्धित | |
| २६ | माटाका भाँडा बेच्ने (ठुलो) | १०.०० |
| २७ | माटाका भाँडा बेच्ने (सानो) | ५.०० |
| २८ | कुची कुनिया नाड्लो बेच्ने | ५.०० |
| २९ | जडिबुटी बिक्री गर्ने | १०.०० |

माथि उल्लेख नभएको दैनिक तथा साप्ताहिक हाटबजारमा व्यवसाय गर्नेको हकमा गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरि रु १० देखि रु ५०० सम्म तोक्न सकिने ।

अनुसूचि-५

(दफा ७ संग सम्बन्धित)

सवारी साधन कर(राजश्व शीर्षक- ११४५१)

| क्र.स. | सवारीको प्रकार | दर (रु) |
|--------|---|---------|
| १ | बस ट्रक ट्रयाक्टर रहेभी गाडी | २०००.०० |
| २ | भाडाका कार जिप | १०००.०० |
| ३ | निजी कार, जीप, मयुरी | ५००.०० |
| ४ | स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधनमा | २००.०० |
| ५ | ठेलागाडा तथा रिक्सामा | २००.०० |

अनुसूचि-६

(दफा ८ संग सम्बन्धित)

विज्ञापन कर(राजश्व शीर्षक- ११४७२)

| क्र.स. | विवरण | दर (रु) |
|--------|---|---------|
| १ | सार्वजनिक स्थानमा विज्ञापन वा साईन बोर्ड राखे बापत वार्षिक कर | १०००.०० |

अनुसूचि-७

(दफा ९ संग सम्बन्धित)

मनोरञ्जन कर (राजश्व शीर्षक- ११४७३)

- मनोरञ्जन कर ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थलहरूको व्यवस्थापन गरी स्थानीय बासीहरूको सहकार्यमा प्रवेश शुल्कको व्यवस्था गरी पर्यटकहरूबाट प्रवेश शुल्कको ५% रकम गाउँपालिकाले मनोरञ्जन कर वापत लिन सक्नेछ ।
- साँस्कृतिक प्रदर्शन हल, नाच घर , दोहोरी संगीत तथा अन्य मनोरञ्जन सामाग्री प्रदर्शनीमा प्रवेश शुल्कमा ५% मनोरञ्जन कर लाग्ने छ ।
- जादु, सर्कश, चटक र मेला आयोजना स्थलमा मनोरञ्जन कर वापत अनुमतिका लागि गरिने सिफारिस दस्तुरका अतिरिक्त प्रत्येक दिन रु ३००.०० लिईने छ ।

अनुसूचि-८
(दफा १० संग सम्बन्धित)
व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर (राजश्व शीर्षक- ११६१३)

| क्र.स. | विवरण | दर (रु) |
|--------|-----------------------------|----------|
| | नयाँ व्यवसाय दर्ता | |
| १ | १ लाख सम्मको | १०००.०० |
| २ | १ लाख देखि ३ लाखसम्म | ३०००.०० |
| ३ | ३ लाखदेखि ५ लाख सम्म | ५०००.०० |
| ४ | ५ लाख देखि १० लाख सम्म | ७०००.०० |
| ५ | १० लाखदेखि २० लाख सम्म | १२०००.०० |
| ६ | २० भन्दा माथी १ करोड सम्म | २००००.०० |
| ७ | १ करोड देखि ५ करोड सम्म | ३००००.०० |
| ८ | ५ करोड माथि | ५००००.०० |
| | व्यवसाय नवीकरण | |
| ९ | सबै प्रकारका व्यवसाय नवीकरण | १००.०० |
| | वार्षिक व्यवसाय कर | |
| १० | १ लाख सम्म | ७००.०० |
| ११ | १ लाख देखि ३ लाखसम्म | १०००.०० |
| १२ | ३ लाखदेखि ५ लाख सम्म | १३००.०० |
| १३ | ५ लाख देखि १० लाख सम्म | २०००.०० |
| १४ | १० लाखदेखि २० लाख सम्म | २२००.०० |
| १५ | २० भन्दा माथी १ करोड सम्म | ३०००.०० |
| १६ | १ करोड देखि ५ करोड सम्म | ५०००.०० |
| १७ | ५ करोड माथि | ८५००.०० |

व्यवसाय सम्बन्धि कर प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु भएको प्रथम त्रैमासिक भित्र माथि उल्लेख भए बमोजिम संकलन गर्ने र उल्लेखित समयावधि भित्र करदाताले नबुझाएमा अनुसूचि-१५ बमोजिम जरिवाना लिने ।

अनुसूचि-९

(दफा ११ संग सम्बन्धित)

रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर (राजश्व शीर्षक- ११६१४)

| क्र.स. | विवरण | दर (रु) |
|--------|-----------------------------|----------|
| १ | रेडियो/एफ.एम. अनुमति दस्तुर | १५०००.०० |
| २ | रेडियो/एफ.एम. नवीकरण दस्तुर | ५०००.०० |

अनुसूचि-१०

(दफा १२ संग सम्बन्धित)

कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोबारमा लाग्ने कर (राजश्व शीर्षक-
११६३१)

| क्र.स. | विवरण | दर (रु) |
|--------|------------------------------|---------|
| १ | खोटो प्रति के.जी. | २% |
| २ | टिमुर प्रति के.जी. | ५% |
| ३ | तेजपात प्रति के.जी. | ५% |
| ४ | चिउरी प्रति के.जी. | ५% |
| ५ | कुरिलो प्रति के.जी. | ५% |
| ६ | अलैची (प्रति के.जी.) | ७ % |
| ७ | चिराईतो (प्रति के.जी.) | ७ % |
| ८ | लौठ सल्लो (पात) प्रति के.जी. | ७ % |
| ९ | पाखान बेद (प्रति के.जी.) | २% |
| १० | ठूलो ओखती (प्रति के.जी.) | २% |
| ११ | पदम चाल (प्रति के.जी.) | २% |
| १२ | जटामसि (प्रति के.जी.) | २% |
| १३ | काउलो (प्रति के.जी.) | २% |
| १४ | लोक्ता (प्रति के.जी.) | २% |
| १५ | अल्लो (प्रति के.जी.) | २% |

अनुसूचि-११
(दफा १३ संग सम्बन्धित)
सरकारी सम्पत्ति बहाल (राजश्व शीर्षक- १४१५१)

सरकारी सम्पत्ति बहाल भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने सिफारिस गर्ने:

- स्थायी प्रकृतिका घर संरचना गाउँपालिकाले निर्माण गरि मासिक रूपमा भाडामा लगाउँदा संरचना निर्माणको लागत, व्यवसायको प्रकृति, करदाताको क्षमता लगायतका पक्षहरु विश्लेषण गरि गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम मासिक भाडा दर तोक्ने र यसरी भाडा दर तोक्दा न्यूनतम मासिक रु ५००.०० भन्दा कम हुने छैन ।
- ब्याकहु लोडर भाडामा दिदा प्रति घण्टा रु. १०००.०० का दरले लिने र हेभी ईक्वीपमेन्टमा लाग्ने ईन्धन तथा सामान्य मर्मत बहालमा लिने व्यक्ति, समिति वा संस्थाले नै व्यहोर्ने ।

अनुसूची-१२
(दफा १४ सँग सम्बन्धित)
पार्किङ शुल्क (राजश्व शीर्षक १४२४१)

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| पार्किङ् शुल्क: प्रतिदिन | बस , ट्रक, लरी, हेभी गाडी, ट्र्याक्टर, जीप | ५०.०० |
| | मोटरसाइकल, ठेला गाडा, अटो रिक्सा र अन्य साधन प्रति घण्टा | १०.०० |

अनुसूचि-१३
(दफा १५ संग सम्बन्धित)
पर्यटन सेवा शुल्क (राजश्व शीर्षक- १४१७६)

लिखु गाउँपालिकामा आउने स्वदेशी पर्यटकलाई रु २० र विदेशी पर्यटकलाई रु ५०० प्रवेश शुल्क लगाउने ।

अनुसूचि-१४

(दफा १६ संग सम्बन्धित)

प्रशासनिक सेवा शुल्क, दस्तुर (राजश्व शीर्षक- १४२२० देखि १४२४९)

| क्र.सं. | राजश्व शीर्षक | विवरण | दर (रु) |
|---------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| १ | १४२ २१ | न्यायिक समिति निवेदन दस्तुर | २३०.०० |
| २ | १४२ २१ | कोर्टफी मिनाहा सिफारीस | निशुल्क |
| ३ | १४२ २४ | परीक्षा शुल्क | कार्यपालिका ले तोके बमोजिम |
| ४ | १४२ २९ | निवेदन दस्तुर | २०.०० |
| ५ | १४२ २९ | नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दस्तुर | ५००.०० |
| ६ | १४२ ४२ | क वर्गका भवन आवासीय | १०.०० |
| ७ | १४२ ४२ | क वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक | १३.०० |
| ८ | १४२ ४२ | क वर्गका भवन संस्थागत | १३.०० |
| ९ | १४२ ४२ | ख वर्गका भवन आवासीय | ७.०० |
| १० | १४२ ४२ | ख वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक | ९.०० |

| | | | |
|----|-----------|---|------|
| ११ | १४२ ४२ | ख वर्गका भवन संस्थागत | ८.०० |
| १२ | १४२ ४२ | ग वर्गका भवन आवासीय | ६.०० |
| १३ | १४२ ४२ | ग वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक | ८.०० |
| १४ | १४२ ४२ | ग वर्गका भवन संस्थागत | ७.०० |
| १५ | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन आवासीय बजार क्षेत्र | ३.०० |
| १६ | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक बजार क्षेत्र | ४.०० |
| १७ | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन संस्थागत बजार क्षेत्र | ८.०० |
| १८ | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन आवासीय ग्रामीण क्षेत्र | २.०० |
| १९ | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक ग्रामीण क्षेत्र | ३.०० |
| २० | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन संस्थागत ग्रामीण क्षेत्र | ६.०० |
| | १४२ ४२ | अभिलेखिकरण नक्सा पास दस्तुर (प्रति वर्ग फिट) | |
| २१ | १४२ ४२ | क वर्गका भवन आवासीय | ८.०० |
| २२ | १४२ ४२ | क वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक | ८.०० |
| २३ | १४२ ४२ | क वर्गका भवन संस्थागत | ७.०० |

| | | | |
|----|-----------|--|--------|
| २४ | १४२ ४२ | ख वर्गका भवन आवासीय | ८.०० |
| २५ | १४२ ४२ | ख वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक | ८.०० |
| २६ | १४२ ४२ | ख वर्गका भवन संस्थागत | ६.०० |
| २७ | १४२ ४२ | ग वर्गका भवन आवासीय | ६.०० |
| २८ | १४२ ४२ | ग वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक | ७.०० |
| २९ | १४२ ४२ | ग वर्गका भवन संस्थागत | ५.०० |
| ३० | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन आवासीय | ३.०० |
| ३१ | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन व्यापारिक तथा औद्योगिक | ४.०० |
| ३२ | १४२ ४२ | घ वर्गका भवन संस्थागत | ५.०० |
| | १४२ ४३ | सिफारिस दस्तुर | |
| ३३ | १४२ ४३ | घरजग्गा नामसारी सिफारीस ३रोपनी -३-१५-० देखि ९) (सम्म | १७०.०० |
| ३४ | १४२ ४३ | घरजग्गा नामसारी सिफारीस ३ रोपनी -३-१५-१० देखि १९) (सम्म | २२०.०० |
| ३५ | १४२ ४३ | घरजग्गा नामसारी सिफारीस (२० देखि ५० रोपनीसम्म) | ३५०.०० |
| ३६ | १४२ ४३ | घरजग्गा नामसारी सिफारीस (५० रोपनीभन्दा माथि) | ७००.०० |

| | | | |
|----|-----------|---|---------|
| ३७ | १४२ ४३ | मोही लगत कट्टा सिफारीस (१ रोपनी सम्म) | १३०.०० |
| ३८ | १४२ ४३ | मोही लगत कट्टा सिफारीस (१ रोपनी भन्दा माथि) | २५०.०० |
| ३९ | १४२ ४३ | सरजमिन सिफारीस दस्तुर | २३०.०० |
| ४० | १४२ ४३ | छात्रवृति सिफारीस | १३०.०० |
| ४१ | १४२ ४३ | विपन्न/असाहय बिद्यार्थी छात्रवृति सिफारिस | निशुल्क |
| ४२ | १४२ ४३ | अपाङ्गता भएको सिफारीस | निशुल्क |
| ४३ | १४२ ४३ | अस्थाइ बसोबास सिफारीस | १३०.०० |
| ४४ | १४२ ४३ | स्थायी बसोबास सिफारीस | १३०.०० |
| ४५ | १४२ ४३ | नागरिकता सिफारीस | १३०.०० |
| ४६ | १४२ ४३ | विद्युत जडान सिफारीस | १३०.०० |
| ४७ | १४२ ४३ | धारा जडान सिफारीस | १३०.०० |
| ४८ | १४२ ४३ | जीवित रहेको सिफारीस | १३०.०० |
| ४९ | १४२ ४३ | दुबै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने वा फरक जन्म मिति संशोधन सिफारीस | १३०.०० |
| ५० | १४२ ४३ | व्यवसाय बन्द सिफारीस | १३०.०० |

| | | | |
|----|-----------|---|---------|
| ५१ | १४२ ४३ | व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारीस | १३०.०० |
| ५२ | १४२ ४३ | व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारीस | १३०.०० |
| ५३ | १४२ ४३ | नाबालक परिचयपत्र सिफारीस | १३०.०० |
| ५४ | १४२ ४३ | चौपाया सम्बन्धी सिफारीस प्रति गोटा | २०.०० |
| ५५ | १४२ ४३ | व्यवसाय दर्ता सिफारीस | ५००.०० |
| ५६ | १४२ ४३ | उद्योग ठाउँसारी सिफारीस | १०००.०० |
| ५७ | १४२ ४३ | विद्यालय ठाउँसारी सिफारीस | ५००.०० |
| ५८ | १४२ ४३ | आन्तरिक बसाइसराइ सिफारीस | १३०.०० |
| ५९ | १४२ ४३ | विद्यालय सञ्चालन स्वीकृत कक्षा वृद्धि सिफारिस | १०००.०० |
| ६० | १४२ ४३ | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | १३०.०० |
| ६१ | १४२ ४३ | नवीकरण सिफारीस | १३०.०० |
| ६२ | १४२ ४३ | जग्गा दर्ता सिफारीस | १३०.०० |
| ६३ | १४२ ४३ | सुकुम्बासि सिफारिस | निशुल्क |
| ६४ | १४२ ४३ | संरक्षक सिफारीस व्यक्तिगत | १३०.०० |

| | | | |
|----|-----------|---|---------|
| ६५ | १४२ ४३ | संरक्षक सिफारीस संस्थागत | ५००.०० |
| ६६ | १४२ ४३ | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारीस | २३०.०० |
| ६७ | १४२ ४३ | कोठा खोल्न कार्य रोहबरमा बस्ने सिफारीस | १३०.०० |
| ६८ | १४२ ४३ | निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारीस | निशुल्क |
| ६९ | १४२ ४३ | सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारीस | १३०.०० |
| ७० | १४२ ४३ | संस्था दर्ता सिफारीस | ५००.०० |
| ७१ | १४२ ४३ | जग्गा धनीपुर्जा हराएको सिफारीस | १३०.०० |
| ७२ | १४२ ४३ | अपुताली सिफारिस | ५८०.०० |
| | १४२ ४४ | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर (घटना घटेको ३५ दिन पछि) | |
| ७३ | १४२ ४४ | जन्मदर्ता | १३०.०० |
| ७४ | १४२ ४४ | मृत्युदर्ता | १३०.०० |
| ७५ | १४२ ४४ | बसाइसराइ जाने आउने दर्ता | १३०.०० |
| ७६ | १४२ ४४ | सम्बन्ध विच्छेद दर्ता | १३०.०० |
| ७७ | १४२ ४४ | विवाह दर्ता | १३०.०० |

| | | | |
|----|-----------|---|---|
| ७८ | १४२ ४५ | नाता प्रमाणित दस्तुर | १३०.०० |
| | १४२ ४९ | अन्य दस्तुर | |
| ७९ | १४२ ४९ | आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | १०००.०० |
| ८० | १४२ ४९ | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित | निशुल्क |
| ८१ | १४२ ४९ | जग्गा मुल्याङ्कन प्रमाणित | न्युनतम रु २०० वा बढिमा ०.०५ % |
| ८२ | १४२ ४९ | चार किल्ला प्रमाणित | १३०.०० |
| ८३ | १४२ ४९ | घटना दर्ता प्रमाणित | १३०.०० |
| ८४ | १४२ ४९ | घर बाटो प्रमाणित बाटो भएको | ६००.०० |
| ८५ | १४२ ४९ | घर बाटो प्रमाणित बाटो नभएको | १३०.०० |
| ८६ | १४२ ४९ | घर पाताल प्रमाणित | १३०.०० |
| ८७ | १४२ ४९ | कागज/ मञ्जुरीनामा प्रमाणित | १३०.०० |
| ८८ | १४२ ४९ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | २३०.०० |
| ८९ | १४२ ४९ | अविवाहित प्रमाणित | १३०.०० |

| | | | |
|-----|-----------|--|---------|
| ९० | १४२ ४९ | प्रतिलिपी दस्तुर | १३०.०० |
| ९१ | १४२ ४९ | नक्सा पास निवेदन फाराम दस्तुर | ५००.०० |
| ९२ | १४२ ४९ | सरसफाई शुल्क मासिक | ५०.०० |
| ९३ | १४२ ४९ | सरसफाई कार्डको दस्तुर | १०००.०० |
| ९४ | १४२ ४९ | घर खाली गराउँदा प्रति दिनको दस्तुर | ५००.०० |
| ९५ | १४२ ४९ | अंग्रजी भाषामा अनुवाद गरिएको सिफारिस | ५००.०० |
| ९६ | १४२ ४९ | संस्था दर्ता दस्तुर | १०००.०० |
| ९७ | १४२ ४९ | संस्था नवीकरण दस्तुर | ५००.०० |
| ९८ | १४२ ४९ | सहकारी संस्था दर्ता दस्तुर | १०००.०० |
| ९९ | १४२ ४९ | सहकारी संस्था प्रतिवेदन विलम्ब दस्तुर बचत तथा ऋण र) (बहुउद्देश्य प्रकारका सहकारी | १५००.०० |
| १०० | १४२ ४९ | सहकारी संस्था प्रतिवेदन विलम्ब दस्तुर अन्य प्रकारको) (सहकारी | १०००.०० |
| १०१ | १४२ ४९ | अन्य सिफारीस वा प्रमाणित | १३०.०० |
| १०२ | १४२ ४९ | माथि उल्लिखित सिफारीस र प्रमाणित बाहेक कुनै निर्णय वा फैसला आदिको नक्कल आवश्यक परेमा प्रति पाना | १०.०० |

अनुसूचि-१५
(दफा १७ संग सम्बन्धित)
दण्ड जरिवाना तथा छुट (राजश्व शीर्षक- १४३१२)

विशेष कानूनमा विशेष व्यवस्था भए भन्दा बाहेक प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक तथा नविकरण शुल्क सोही आर्थिक वर्षको असोज मसान्त भित्र बुझाएमा सोही वर्षमा लाग्ने करमा १० प्रतिशतले छुटको व्यवस्था गरिनेछ । तर प्रथम चौमासिक समाप्त भएपछि कर वा शुल्क नबुझाउने व्यवसायी फर्मले दोस्रो चौमासिकको लागि १०%, तेस्रो चौमासिकको लागि १५% र त्यसभन्दा पछि वार्षिक २५% थप जरिवाना गरि असुल उपर गरिनेछ । नक्सा पास नगराई घर निर्माण गरेको हकमा कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिमको जरिवाना लाग्नेछ । तर यसरी जरिवाना तोक्दा नक्सा पास दस्तुर भन्दा बढी हुने छैन ।

आज्ञाले,

अभय कुमार गुप्ता

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०७८/०३/३१